बिहार सरकार

वित्त विभाग

महालेखाकार कार्यालय एवं बिहार अंकेक्षण सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए संविदा पर नियुक्ति

महालेखाकार कार्यालय से सेवा निवृत्त वरीय लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी एवं बिहार अंकेक्षण सेवा (वित्त विभाग) के सेवा निवृत्त उप लेखा नियंत्रक, जो बिहार सरकार के लेखा संबंधी नियमों/प्रावधानों /पेंशन/वेतन पुर्जा के जानकार है, से संविदा पर सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/समकक्ष पद पर नियोजन हेतु नीचे अंकित आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में वृद्धि/ह्रास की जा सकती है ।

क्र.	आरक्षण कोटि	रिक्ति
1	अनारक्षित	11
2	अनुसूचित जाति	06
3	पिछड़ा वर्ग की महिला	03
4	अति पिछड़ा वर्ग	09
5	पिछड़ा वर्ग	05
	कुल	34

2. नियोजन, योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष या 65 वर्ष की आयु अथवा संवर्गीय पदाधिकारी की उपलब्धता होने तक, जो पहले हो, के लिए की जायेगी । यह नियोजन बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा की जायेगी तथा उन्हें अन्य विभागों में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

3. नियोजन की अवधि में नियोजित व्यक्ति को सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त वेतन+महंगाई भत्ता में से पेंशन+महंगाई राहत की राशि घटाकर प्रतिमाह मानदेय (पारिश्रमिक) का भुगतान किया जायेगा । उक्त नियत मानदेय में नियोजन की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पर कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 246 दिनांक-21.02.14 के कंडिका-5 (i) के अनुसार संविदा पर नियोजन की अवधि में पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा ।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2401 दिनांक-18.07.2007 की कंडिका-5 के अनुसार संविदा के आधार पर नियोजन के पश्चात संविदा अवधि(1वर्ष) के लिए मात्र 12 (बारह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा । इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा ।

5. नियोजित व्यक्ति के कार्य दायित्व के अंतर्गत सामान्यतः ए०सी० विपत्रों तथा सहायक अनुदान की राशि का समायोजन/ उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की तैयारी/अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन/लेखा मिलान आदि कार्यों तथा प्रतिनियुक्त कार्यालय प्रधान या विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशित लेखा एवं वित्त संबंधी अन्य कार्यों में विभागीय पदाधिकारियों को सहयोग देना होगा ।

6. इच्छुक सेवा निवृत्त वरीय लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी (महालेखाकार कार्यालय से सेवा निवृत्त) एवं उप लेखा नियंत्रक (वित्त विभाग) का आवेदन दिनांक 30 मई 2015 तक निम्न प्रपत्र में आवश्यक अनुलग्नकों के साथ सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, पुराना सचिवालय-800015 के पते पर प्राप्त हो जाना चाहिये ।

7. वैसे संबंधित सेवा निवृत्त पदाधिकारी जिनकी सेवा सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में असंतोषजनक पायी गयी थी तथा इस आधार पर सेवा मुक्त किए गए थे, वे आवदेन देने के पात्र नहीं होंगें ।

12/5

(एच० आर० श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन)

वित्त विभाग, बिहार पटना ।

sec-36//draft-101

आवेदन का प्रपत्र

आवेदक का नाम :- ....

जन्म तिथि :- ....

कोटि (अनारक्षित/अनु० जाति/अनु० जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/महिला (SC/ST/MBC एवं BC)) :- ....

शैक्षणिक योग्यता :- ....

कार्य अनुभव का ब्यौरा (बायोडटा संलग्न करना अनिवार्य है):- ....

पिता का नाम :- ....

पता :- ....

....

मोबाईल/दूरभाष संख्या/ई-मेल - ....

सेवा निवृत्ति की तिथि एवं उस समय धारित पद :- ....

अंतिम वेतनमान :- ....

अंतिम वेतन :- ....

कार्यालय का नाम :- ....

पेंशन की राशि :- ....

नोटः- उपर्युक्त सूचनाओं से संबंधित साक्ष्य/प्रमाण की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।

आवेदक का हस्ताक्षर

sec-36//draft-102